कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / संस्था / बी-2 / 45002 / प्रधाना / स्था. / 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती अंजु कोठारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वलीचा, गिरवा जिला उदयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिठडी जिला उदयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती अन्जू कोठारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15584 / 2019 अन्जु कोठारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15584 / 2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2019 द्वारा याचिकार्थी अन्जु कोठारी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनके विशेष श्रेणी महिला (परित्यक्ता) होने एवं उनकी विकट पारिवारिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत कठिनाईयों के मद्देनजर उनका पदस्थापन उदयपुर जिले में राउमावि भूपालपुरा, उदयपुर, राउमावि नाई अथवा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में प्रधानाचार्य समकक्ष के पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त प्रकरणों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्णय के अनुसरण में ही याचिकार्थी को उदयपुर जिले में ही स्थानान्तरित किया गया था, किसी अन्य जिले में नहीं। साथ ही याचिकार्थी द्वारा चाहे गए स्थानों पर प्रधानाचार्य समकक्ष का पद रिक्त नहीं है। गृह जिले में पदस्थापित रहते हुए भी वांछित स्थान पर पदस्थापन की याचिकार्थी की मांग उचित नहीं है। याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित / छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी अन्जु कोठारी द्वारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन खारिज करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिठडी (MITTUDI) जिला उदयपुर में दिनांक 11.10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः-शिविरा-मा. / संस्था / बी-2 / अन्जु कोठारी / एसबीसिया / 15584 / 2019 दिनांक 08.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे अन्जु कोठारी के निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग-प्रथम को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)